

प्रेमक,

शिक्षा प्रकाश पुस्तक,
संस्कृत शिक्षा,
उत्तर प्रदेश सरकार ।

सेवा में,

शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा परिषद,
महोदय, 2-2 सतलुजा रोड,
प्रतिष्ठान विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

संख्या: दिनांक : 7-8-2003

विषय:- **कुल द्वा संयुक्त माध्यमिक स्कूल फतेहपुर को सी०पी०एस० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने विषय ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को **सी०पी०एस०** नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सौसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे 30प्र०मा० शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वैसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इका मिनेशत नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से 30प्र०मा० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

- 15: संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।
- 16: कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनानी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूचित सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 17: राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 18: विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकों में रखा जायेगा।
- 19: उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबंध यह भी होगा कि विद्यालय में प्रशिक्षित अध्यापक तैयार की जायेंगे।

3- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की बूझ या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भरदीय,

विम प्रकाश गुप्ता
सहायक सचिव

पुं०संख्या एवं दिनांक तैय

प्रतिगपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **आजमगढ़**।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **फौजपुर**।
- 4- निरीक्षक, आंगन भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- प्रबंधक, **कुल द्वा संनिकासि विद्या लकू फौजपुर**।
- 6- गार्ड डुक।

आज्ञा है,

विम प्रकाश गुप्ता
सहायक सचिव